

**एक जिलाबदर अपराधी गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 06.04.2025 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर काछीकला ओवरब्रीज के पास से एक जिलाबदर अपराधी फुजैल अहमद उर्फ टाईगर पुत्र असरारूल हक निवासी वाजिदपुरा थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोपागंज में मु0अ0सं0 98/25 धारा 4/10 गुण्डा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. फुजैल अहमद उर्फ टाईगर पुत्र असरारूल हक निवासी वाजिदपुरा थाना कोपागंज जनपद मऊ।

**आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 312/23 धारा 380,411,457 भादवि थाना कोपागंज जनपद मऊ।
2. मु0अ0सं0 314/23 धारा 379,411 भादवि थाना कोपागंज जनपद मऊ।
3. मु0अ0सं0 317/23 धारा 380,411 भादवि थाना कोपागंज जनपद मऊ।
4. मु0अ0सं0 98/25 धारा 4/10 गुण्डा अधि0 थाना कोपागंज जनपद मऊ।
5. मु0अ0सं0 37/22 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना कोपागंज जनपद मऊ।
6. मु0अ0सं0 232/23 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना कोपागंज जनपद मऊ।

**गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 अनिकेत सिंह थाना कोपागंज जनपद मऊ।
2. हे0का0 धनन्जय पाण्डेय थाना कोपागंज जनपद मऊ।
3. का0 पप्पू थाना कोपागंज जनपद मऊ।

**02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-**

आज दिनांक 07.04.2025 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना कोपागंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त सुनील यादव पुत्र श्रवण निवासी कसारा मोड़ थाना कोपागंज व थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त सुनील पुत्र रुपचन्द निवासी सहादतपुरा नई बस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।